

10.03.2025:—पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। उभयपक्ष अधिवक्ता अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। वादी अधिवक्ता को लगातार अवसर दिये जा रहे है। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।



*Handwritten signature*

सहयक कलक्टर  
पत्रं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ